सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया व्यवहार न्यायालय, गया	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया।**
निर्णय की तिथि	**05.06.2026**
एन0 डी0 पी0 एस0 वाद सं0	47/2022
बाराचटटी थाना कांड सं0	776/2022
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक आशीष भारती, पु0 स0 अ0 नि0।
अभियोजन की तरफ से	श्री शाहदुल्ला फारूखी, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम	1. पप्पु कुमार, पिता–नंदु यादव, 2. कृष्णा कुमार, पिता– स्व0 महावीर यादव, निवासी ग्राम–धनांवां, थाना–बाराचट्टी, जिला–गया।
अभियुक्तगण की तरफ से	श्री रजनीश कुमार सिंह, अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार, अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार, अधिवक्ता श्री कृष्ण मुरारी यादव, अधिवक्ता मोदसीर सुलेमार, अधिवक्ता श्री नंदकिशोर शर्मा, अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	27.08.2022
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	27.08.2022, धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	30.11.2022, धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट।
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	02.01.2023, धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट।
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	24.04.2024, धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट।
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	21.05.2024
बयान दर्ज करने की तिथि	18.04.2026
निर्णय हेतु रखने की तिथि	23.05.2026
निर्णय की तिथि	**05.06.2026**

सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

कम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	जिन अपराधों का आरोप बनाया गया	चाहे दोषमुक्त हो या दोषी	सजा सुनाई गई	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि
01.	पप्पु कुमार	28.08.2022	10.05.2023	धारा–18 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट	दोषमुक्त	N.A.	N.A.
02.	कृष्ण कुमार	28.08.2022	आज तक		दोषमुक्त	N.A.	N.A.

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण 1. पप्पु कुमार एवं 2. कृष्ण कुमार प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, आशीष भारती, पु0 स0 अ0 नी0, बराचट्टी थाना के आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.08.2022 को समय करीब 10:30 बजे रात्री में सशस्त्र बल के सिपाहीं विनोद कुमार, अमरनाथ स्वतंत्र, नित्यानन्द प्रसाद साथ पुलिस वाहन के चालक सिपाही दिलीप कुमार के साथ रात्री गश्ती में प्रस्थान किया था तो दिनांक 27.08.2022 को सुबह में करीब 05:00 बजे गुप्त सूचना मिली की धनावा गाव के कृष्णा कुमार और पप्पु कुमार अफीम लेकर मोटरसाईकिल से बेचने जा रहा है सूचना की सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुये ग्राम–धनावां के तरफ जाने लगा जो हीं धनावा गांव जाने वाली सड़क में गया की मोटरसाईकिल से दो लड़का को आते देखा पुलिस वाहन को देखकर दोनों लड़का मोटरसाईकिल रोक कर जंगल में भागने की कोशिस किये जिन्हे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा और नाम व पता पुछने पर दोनों ने अपना–अपना नाम पप्पु कुमार, पिता नन्दु यादव, दूसरे ने अपना नाम कृष्णा कुमार पिता महावीर महतो दोनों ग्राम –धनावा, थाना–बाराचटटी, जिला–गया बताया तथा जंगल रहने के कारन वहॉ कोइ स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं हुआ तब सशस्त्र बल को स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया जिसमें से सशस्त्र बल के सि0 944 विनोद कुमार एवं सि1102 अमरनाथ स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार हुये जिनको स्वतंत्र साक्षी मानते हुये पकड़ाये व्यक्ति कृष्णा कुमार एवं पप्पु कुमार के के समक्ष मोटरसाईकिल स्पलेंडर प्लस जिसका निबंधन सं0 BR02AT8921 की तलासी नियमों का पालन करते हुये तलासी लेना प्रारम्भ किया जिसमें मोटरसाइकिल के डिक्की से पिले रंग के प्लास्टिक के अंदर काला रंग के प्लास्टिक में बंधा हुआ रूपया मिला जिसे गिनने पर 500 का 1040 नोट कुल 520000/– रूपया एवं 2000 का 100 नोट कुल 200000/– दोनों मिलाकर कुल 7200000/– मिला जिसका विधिवत जप्ती सूची बनाया तथा जप्ती सूची की एक एक प्रति दोनों को प्राप्त कराया जिसके संबंध में पुछने पर दोनों अलग अलग बोलने लगे जिससे शक होने पर गहराई से पुछ ताछ किया तब दोनों बोले की ये रूपया हमलोग अफीम बेचकर प्राप्त किये हैं और अफिम के बारे में पुछने पर कृष्णा कुमार बोले की मेरे घर में अफीम डोडा ब्रॉउन शुगर रखा हुआ है इस बात की सूचना थाना प्रभारी को दिया गया तो थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया की धनावां गांव में पहूॅचकर कष्ण कुमार के घर पहूॅचकर घर की घेराबंदी करके रखिये मैं और सूश्री आरती कुमारी, राजस्व पदाधिकारी अंचल बाराचटटी महोदय आते हैं मेरे द्वारा दोनों कृष्ण कुमार एवं पप्पु कुमार को लेकर ग्राम धनावां समय करीब 06:05 बजे पहूॅचे और कृष्ण कुमार के बताये अनुसार इनके घ ार का घेराबंदी किया कुछ समय बाद समय करीब 06:45 बजे थाना प्रभारी एवं सुश्री आरती कुमारी राजस्व पदाधिकारी अंचल बाराचट्टी अपने साथ इलेक्ट्रोनिक तराजु के साथ पहॅचे

पुलिस कार्रवाई को देखकर आस–पास के ग्रामीण इक्कठा होने लगे जिनमें से दो व्यक्ति से स्वतंत्र साक्षी बनने का अनुरोध किया लेकिन ग्रामीण झगड़ा विवाद होने के डर बाताते हुये कोई स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुआ तब अपने साथ सशस्त्र बल को साक्षी मानते हुये थाना प्रभारी महोदय एवं सुश्री आरती कुमारी राजस्व पदाधिकारी अंचल बाराचटटी महोदय को मजिस्ट्रेट मानते हुये कृष्णा कुमार को एन0 डी0 पी0 एस0 की धारा 50 का नोटिस का विधिवत तामिला कराते हुये कृष्णा कुमार के द्वारा बताये अनुसार उनके घर के अंदर बना बाक्सानुमा जगह का तलासी लिया गया जिसके अंदर प्लास्टिक के झोला में प्लास्टिक मेें बंधा ब्राउन सुगर मिला तथा छत के कोने में छिपा कर रखा भठी एवं वहीं पर बने माल छानने वाले कपड़ा बरामद हुआ डोडा, अफीम, ब्राउन सुगर को बारी बारी से बजन किया गया तब अफीम जैसा पदार्थ का वजन 5 किलोग्राम डोडा जैसा पदार्थ का वजन करने पर 400 ग्राम, ब्राउन सुगर का वजन करने पर 1 किलोग्राम वजन पाया गया । सभी का विधिवत जप्ती सूची तैयार किया गया जिसपर दोनों साक्षीयों ने स्वतेक्षा से अपना अपना हस्ताक्षर बना दिया जप्ती सूची की एक प्रति दोनों को प्राप्त कराया गया। अफीम, डोडा एवं ब्राउन सुगर के संबंध में अभियुक्त ने बताया कि हम दोनों ग्रामीणों से कच्चा माल खरीदकर अफीम ब्राउन सुगर बनाते एवं बेचते हैं। पप्पु कुमार एवं कृष्णा दोनों ने बताया कि कल रात्री को हीं माल तैयार कर लिये थे और सुबह में बेचकर बिका माल का पैसा लेकर जा रहे थे तभी पुलिस को देखकर डर से भागने के क्रम में पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर गया बाराचटटी थाना कांड संख्या–776/2022, दिनांक 27.08.2022 अन्तर्गत धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में अभियुक्त पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्तगण पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए दिनांक 30.11.2022 को आरोप–पत्र संख्या – 821/2022, दिनांक 22.11.2022, अन्तर्गत धारा–18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में समर्पित किया गया। जिसमें आरोप पत्र समर्पित होने के उपरान्त इस वाद को दिनांक 03.07.2023 को मामले के विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय से इस न्यायालय में भेजा गया।

5. दिनांक 24.04.2024 को अभियुक्त पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार के विरूद्ध धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्तों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्तों ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद विचारण का दावा किया।

6. दिनांक 18.04.2026 को अभियुक्त पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्तों ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उसे इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

7. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

मन्तव्य

8. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 07 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– विनोद कुमार (छापेमारी दल का सदस्य)

अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– नित्यानन्द प्रसाद (छापेमारी दल का सदस्य)

अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– अमरनाथ स्वतंत्र (छापेमारी दल का सदस्य)

अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– दिलीप कुमार (चालक)

अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– आशिष भारती (सूचक)

अभियोजन साक्षी संख्या – 6 :– आरती कुमारी (राजस्व अधिकारी)

अभियोजन साक्षी संख्या – 7 :– मनोज कुमार (अनुसंधानकर्ता)

9. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया हैः–

प्रदर्श–1 – साक्षी सं0 1 विनोद कुमार का जप्ती सूची पर हस्ताक्षर

प्रदर्श– 2 एवं 2/1 – दोनों जप्ती सूची पर साक्षी सं0 3 अमरनाथ स्वतंत्र का हस्ताक्षर

प्रदर्श– 3 एवं 4 – दोनों जब्ती सूची

प्रदर्श– 4/1 एवं 3/1 – दोनों जप्ती सूचीयों पर साक्षी सं0 6 आरती कुमारी, राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रदर्श– 5 एवं 6 – दोनों अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापांक

प्रदर्श–7 – टंकित प्राथमिकी आवेदन

प्रदर्श– P.W. 7/1–पृष्ठांकन

प्रदर्श– P.W. 7/2– औपचारीक प्राथमिकी

प्रदर्श– P.W. 7/3– आरोप पत्र सं0 821/2022

प्रदर्श– P.W. 7/4– सैपलिंग के लिए दिया गया आवेदन

प्रदर्श– P.W. 7/5– सैंपल को जांच हेतु भेजने हेतु दिया गया आवेदन

प्रदर्श– P.W. 7/6–प्रदर्श को पटना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा जिसका प्राप्ती रसीद

प्रदर्श– P.W. 7/7– मालखाना रजिस्टर के पेज नम्बर 9 एवं क्रम सं0 63

प्रदर्श– 8– एफ0 एस0 एल0 रिपोर्ट

बस्तु प्रदर्श–एम01, एम02 एवं एम03– अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– विनोद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि "** दिनांक 27.04.2022 की घटना है। उस समय मैं बाराचट्टी थाना में पदस्थापित था। उस दिन मैं ए0एस0आई0 आशिष भारती के साथ गश्ती कर रहा था, उस समय मेरे साथ 835 नित्यानन्द प्रसाद, 1102 अमर नाथ स्वतंत्र, चालक दिलीप कुमार तथा ए0एस0आई0 आशिष भारती थे। करीब सुबह 05:00 बजे की गुप्त सूचना पर हमलोग धनांवा रोड पर गये थे। दो व्यक्ति बाईक से जा रहे थे, उसे रोकवाया गया, वो लोग भागने का प्रयास किये, तो हमलोग अपनी गाड़ी से उतर कर उसे पकड़ लिये। ए0एस0आई0 आशिष भारती के द्वारा पकड़ाये व्यक्तियों से पुछताछ किया गया, वो लोग कुछ नहीं बता रहे थे, तो उनके बाईक का डिक्की खोलाया गया, जिसमें प्लस्टिक में कुछ था, कुछ पैसा था, जिसे गिनती किया गया तो पाया गया कि सात लाख बीस हजार रूपया है। पुछताछ करने के बाद ए0एस0आई0 आशिष भारती के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचना देकर बुलाया गया, तो थानाध्यक्ष रामलखन पण्डित तथा आरती कुमारी, राजस्व पदाधिकारी भी वहां पर आये, उसके बाद पकड़ाये अभियुक्तों के घर गये थे। घ ार पर छापामारी किया गया, तो पांच किलोग्राम अफीम, 400 ग्राम डोडा, 01 किलोग्राम ब्राॅउन सुगर बरामद हुआ था। बरामद सामान का जप्ती सूची घटना स्थल पर ही तैयार किया गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है एवं साक्षी के पहचान पर प्रदर्श–1 अंकित किया गया। साक्षी का कहना है कि न्यायालय में उपस्थित दोनों अभियुक्त को पहचानते है।"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के कम में इस साक्षी ने कथन किया है कि "मैं वर्ष 2010 से इस पद पर कार्यरत हुं। घटना से तीन–चार महिना पहले ही मैं बाराचट्टी थाना में पदस्थापित हुआ था। दिनांक 26.08.2022 से हमलोग गस्ती में थे। थाना से गस्ती के लिए निकलने का आगमन तथा प्रस्थान दोनों रजिस्र्ट पर अंकित होता है। मेरे टीम का प्रस्थान दिनांक 26.08.2022 को रात्रि 10:00 बजे अंकित किया गया था, गस्ती में केवल हमलोगों की टीम ही निकली थी, और के बारे में मुझे नहीं पता है। धनांवा रोड में गस्ती करने की डियुटी रजिस्र्ट पर अंकित हुई थी। थाना से धनांवा रोड किस क्षेत्र में और किस दिशा में है, मुझे याद नहीं है। थाना से धनांवा रोड करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम–धनावा 50 घरों की बस्ती है। घटना स्थल की चौहद्दी मुझे नहीं पता है। वहां पर एक घर था, उसके कुछ दुरी पर तीन चार घर था। धनावां के किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं जानता हुं। मुझे याद नहीं है कि धनावां के सरपंच, मुखिया, चौकिदार को बुलाया गया था या नहीं, मैं किसी को नहीं पचानता हूं, वहां पर कुछ लोग आये थे। काफी दिन हो जाने के कारण मैं धनावां गांव के चौकिदार का नाम नहीं बता सकता हुं। धनावां रोड का दिशा मैं नहीं बता सकता हुं। दिशा का ज्ञान मुझे नहीं है। घटना स्थल पर करीब दस लोग जमा हो गये थे। वहां पर उपस्थित लोग गवाह बनने को तैयार नहीं हुए थे, इसलिए जप्ती सूची का गवाह मुझे बनाया गया था। मैंनें घटना स्थल पर ही जप्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर किया था। इस केस में मैं रेडिंग पार्टी का मेम्बर तथा जप्ती सूची का गवाह दोनों हुं। जब्त मोटर साईकिल अभी न्यायालय में नहीं है। इस केस का कोई भी जप्त सामान अभी न्यायालय में नहीं है। इस केस में मैं पहली बार आज न्यायालय में गवाही दे रहा हुं। इससे पहले मेरा ब्यान कहीं नहीं लिया गया था। मैं नहीं बता सकता हुं कि प्राथमिकी आवेदन में जप्ती सूची के गवाहों में मेरा नाम अंकित किया गया है या नहीं। मैंने Forensic Science की जांच का प्रशिक्षण नहीं लिया है। मैंने वरीय पदाधिकारी के सामाने अपना जमा तलाशी दिया था। प्राथमिकी आवेदन में जमा तलाशी का जिक्र किया गया था। यह बात सही है कि जप्त समान के बारे में मैंने अंदाज से बताया है, क्योंकि मैंने जांच करने का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। मुझे याद नहीं है कि जप्त सामान का, घटना की कार्यवाही का कोई भी कार्य का विडियोग्राफी किया गया था, या नहीं। जप्त सामान सील हुआ था, या नहीं, मुझे याद नहीं है। पहला जप्ती सूची 05:55 बजे बना था। दुसरा जप्ती सूची के बारे में याद नहीं है। दुसरा घटना स्थल पर किसका–किसका मकान था, या उस घर में कितना कमरा था, मैं नहीं बता सकता हुं। वहां पर करीब पांच छः घर था। बाकि घर दूर में थे। किसका–किसका घर था, मैं नहीं बता सकता हुं। हमलोग घर के बाहर घेराबन्दी किये थे, दारोगा जी घर के अन्दर गये थे। सामान को जप्त कर बाहर घर के दरवाजा पर लाया गया था। थाना में प्राथमिकी दर्ज कितना बजे हुआ था, मुझे याद नहीं है। पुनः कहते है, 05:55 में प्राथमिकी दर्ज हो गया था। दुसरा जप्ती सूची घर पर जो बना, उस पर बाराचट्टी थाना काण्ड संख्या–776/2022 अंकित किया गया था, या नहीं मुझे याद नहीं है। मोटर साईकिल का डिक्की बन्द था। उसका चाभी जप्त कर जप्ती सूची में अंकित नहीं किया गया था।"

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– नित्यानन्द प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण के कम में कथन किया है कि "** घटना दिनांक 27.08.2022 की समय सुबह के करीब पॉच बजे की है। उस दिन रात्री गश्ती में बाराचटटी थाना अंर्तगत थे और गश्ती में मेरे अलावे, अमरनाथ स्वतंत्र, विनोद कुमार एवं अधिकारी आशिष भारती थे। हमलोगों को सूचना मिली थी कि मोटरसाईकिल से दो व्यक्ति नशीली पदार्थ लेकर आ रहे है तो हमलोग धनवां गांव जाने वाली रास्ते में गये तो देखा कि दो व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आ रहा है तो उसे रूकवाया गया तो वे भागने की कोशिस करने लगे तो उनको रूकवाया गया तो हमारे अधिकारी के द्वारा बोला गया कि आपलोग स्वतंत्र साक्षी बन जाइये तो दो स्वतंत्र साक्षी के रूप में अमरनाथ स्वतंत्र एवं

विनोद कुमार को बनाया गया क्योंकि जंगल रहने के कारण वहॉ पर कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध नहीं थे। हमारे अधिकारी के द्वारा वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया गया और राजस्व पदाधिकारी आरती कुमार आये और डिक्की से सात लाख पैसा बरामद हुआ था जिसे वरीय पदाधिकारी के द्वारा गिना गया था जिसके बारे में पुछताछ करने पर बताया कि वे लोग अफिम बेचकर यह पैसा लेकर आ रहे है। कृष्णा कुमार के द्वारा बताया गया कि उसके घर पर अफिम है तो उसके घर पर गये तो उसके घर के तलाशी लेने के क्रम में 5 किलोग्राम अफिम बरामद हुआ, 400 ग्राम डोडा एवं 1 किलोग्राम ब्राउन सुगर बरामद हुआ। सारे जब्त समान का जब्ती सूची बनी और उसके बाद जब्त समान एवं पकड़ाये व्यक्तियों को लेकर थाना आये। न्यायालय में उपस्थित मुदालय को देखकर गवाह बताते हैं कि चेहरा याद नहीं है। पकड़ाये व्यक्तियों का नाम कृष्ण कुमार एवं पप्पु कुमार था। ”

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि “बस्तु प्रदर्श आज न्यायालय में मेरे समक्ष नहीं है। थाने की गाड़ी थी जिससे गश्ती में निकले थे, उसका नम्बर याद नहीं है। रात्री गश्ती के लिए दिनांक 26.08.2022 को रात्री 10 बजे निकला था। गश्ती में जाने के लिए थाना के डायरी में अंकित किया जाता है। हमलोग अपने अधिकारी के आदेश के निर्देष से चलते हैं। गश्ती में निकलने के बाद हमलोग बाराचटटी बाजार के अंदर में थे। सूचना 5 बजे सुबह में मिली थी। सूचना मिलने के बाद थाने को खबर किया गया था। गवाही से पहले केस को नहीं पढ़ा था। पी0 पी0 साहब ने नहीं बताया था कि क्या बयान आपका है। सूचना में प्राप्त हुयी थी कि मोटरसाकिल से मादक पदार्थ लाया जा रहा है। उस रास्ते पर एक हीं मोटरसाइकिल आया था जिसमें मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था और किसी के बदन से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। मोटसाईकिल रोके जाने वाले स्थान का चौहदी याद नहीं है। वहॉ पर जंगल है, बड़ी जंगल है लेकिन कितना किलोमिटर में जंगल फेला है, जानकारी नहीं है। अभियुक्त लोग भागने का प्रयास किया था, 50 मिटर जंगल में भागा तो पकड़ा गया। ग्रामीण लोग शौच के लिए जंगल की ओर जाते हैं। जप्ती सूची पैसा बरामद होने वाला मोटरसाईकिल के पास हीं बनी थी। पैसे वाले में पुलिस वाले हीं जब्ती सूची के गवाह है। वहॉ पर कोई पब्लिक नहीं था। फोरेंसिक जांच एजेन्सी के लोग नहीं आये थे, हमारे अधिकारी ने जो बताया था इसलिए जानकारी हुयी कि मादक पदार्थ है। पप्पु के पास से कोई भी चिज बरामद नहीं हुआ था। हमलोग घर के बाहर में थे, अधिकारी लोग घर के अंदर गये थे और वे जब्त समान को बाहर लेकर आये थे तो देखे थे। मादक पदार्थ का जब्ती सूची 06:45 बजे घटना स्थल वाले घर पर बनी थी। जब्ती सूची बनी थी, लेकिन उसपर क्या लिखा गया था, हमारे अधिकारी बतायेंगे। हमलोगों ने अपनी तलाशी दी थी। घर का चौहदी याद नहीं है।”

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– अमरनाथ स्वतंत्र ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि** “यह घटना दिनांक– 27.08.2022 की है। उक्त तिथि को मैं बाराचट्टी थाना में सिपाही पद पर पदस्थापित था। मैं ए0 एस0 आई0 आशिष भारती, विनोद कुमार, नित्यानंद प्रसाद, एक चालक सिपाही दिलीप कुमार के साथ गश्ती के लिए करीब 10–10:15 बजे निकले थे। पदाधिकारी को सूचना मिली तो हमलोग धनावा गांव में गये। हमलोग गाड़ी से करीब 05:30– 05:45 बजे रास्ते में जा ही रहे थे तो मोटरसाइकिल से गांव के तरफ से दो व्यक्ति आ रहे थे तो हमलोग मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किये तो वे लोग गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागने का प्रयास किये तो हमलोग पकड़ लिये और उनका नाम पुछने पर पप्पू कुमार एवं कृष्णा कुमार बताये। उसके बाद हमलोग उनकी तलाशी लिये लेकिन तलाशी के समय कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे तो स्वतंत्र गवाह के रूप में मैं एवं विनोद कुमार बने थे। उसके बाद पहले हमलोग अपनी जमा तलाशी दिये फिर मोटरसाईकिल की तालशी लिये

तो गाड़ी की डिक्की में 07 लाख 20 हजार रूपया बरामद हुआ। उसके बाद हमलोग अभियुक्तों से पुछताछ किये कि यह पैसा कहां से आया तो वे लोग घबराने लगा और बोला की अफिम एवं डोडा का काम करते है उसी का पैसा है। उसके बाद पुछताछ करने के क्रम में पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार बताये की घर में भी अफिम एवं डोडा रखा हुआ है। उसके बाद हमलोग वरीय पदाधिकारी को धनावां गांव स्थित अभियुक्तों के घर पर तलाशी लेने की आदेश लिये। उसके बाद हमलोग थाना प्रभारी को अभियुक्तों के घर पर आने की सूचना दिये तो अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी अभियुक्तों के घर पर आये। उसके बाद हमलोग अभियुक्तों के घर की तलाशी लिये जिसमें डोडा जैसा पदार्थ 400 ग्राम, 05 किलो अफिम, 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला था। उसके बाद घटना स्थल पर ही दो जब्ती सूची तैयार किया गया जिसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूं। साक्षी के पहचान पर दोनों जब्ती सूचियों पर साक्षी के हस्ताक्षर को क्रमशः **प्रदर्श–2 एवं 2/1** अंकित किया गया। उसके बाद सारे जब्त सामान को घटना स्थल पर ही सील किया गया। उसके बाद जब्त सामान एवं अभियुक्तगण को लेकर थाना आये। साक्षी आगे कहते है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण को चेहरे से पहचानते है।"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि " जिस घर की तलाशी हमलोग लिये थे उस घर में कितना कमरा है याद नहीं है। जिस समय हमलोग घर में गये थे उस समय घर में ताला नहीं लगा हुआ था बल्कि दरवाजा बंद था एवं उस समय घर में कोई आदमी नहीं था। घर के अंदर के कमरों में भी ताला नहीं लगा हुआ था। गुलबन्द लगाये हुए अभियुक्त ने बताया की यह मेरा घर है। **नोटः–** न्यायालय द्वारा नाम पुछे जाने पर इस अभियुक्त ने अपना नाम पप्पू कुमार बताया। जब हमलोग गांव में पहुंचे थे तो वहां कोई व्यक्ति नहीं थे लेकिन बाद में 25–30 की संख्या में ग्रामीण इकठ्ठा हो गये थे। घर पर तलाशी की कोई विडियोग्राफी नहीं हुआ था। जब्त सामान से जांच के लिए सैंपल निकाला गया था लेकिन कितना ग्राम निकाला गया था यह मैं नहीं बता सकता हूं। तीनों पदार्थ में से एक–एक पुड़िया निकाला गया था और उन सभी पुड़िया को सील किया गया था लेकिन मैं उसपर हस्ताक्षर नहीं किया था। सैंपल वाले पुड़िया पर अभियुक्तगण हस्ताक्षर किये थे या नहीं यह मुझे याद नहीं है। बरामद सारे सामान को घटना स्थल पर ही सील किया गया था। तीनों मादक पदार्थ को मेरे सामने अलग अलग कपड़ा में सील किया गया था। सीलबंद करते समय जब्त सामान के अंदर कोई पूर्जा नहीं डाला गया था बल्कि बाहर में पूर्जा साटा गया था और उसपर मैनें अपना हस्ताक्षर किया था एवं अभियुक्तगण हस्ताक्षर किये थे या नहीं याद नहीं है। मेरा बयान अनुसंधान के क्रम में तत्कालीन पदाधिकारी आशीष भारती के समक्ष घटना के दिन घटना वाली गांव में घटना के कुछ देर बाद हुआ था। साक्षी पुनः कहता है कि थाना में भी बयान हुआ था। मैनें अपने बयान में यह कहा था कि डोडा जैसा पदार्थ 400 ग्राम, 05 किलो अफिम, 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला था। मैनें अपने बयान में यह कहा था की जब्त सामान को घटना स्थल पर ही सील किया गया था। गश्ती में निकलते समय रजिस्टर में प्रस्थान करने का प्रविष्टी हुआ था लेकिन उसका प्रविष्टी संख्या याद नहीं है। सूचना वरीय पदाधिकारी को मिली थी। जहां मैनें मोटरसाईकिल को पकड़ा वहां की चौहद्दी मैं नहीं बता सकता हूं। जिन दो व्यक्तियों को पकड़ा गया था उनका कोई पहचान पत्र मैनें नहीं देखा था। मोटरसाईकिल में मिले पैसे को वरीय पदाधिकारी के सामने हमलोगों ने छुआ था। मोटरसाईकिल के डिक्की जांच के समय स्वतंत्र साक्षी खोजने का प्रयास किया था लेकिन जंगल के बीचोबीच होने के कारण कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला था। बरामद पैसों की गिनती ए0 एस0 आई0 आशीष भारती ने किया था और उन्होनें ही बताया की कितना रूपया है। बरामद पैसों की जब्ती सूची घर के पास ही बना था। जब्ती सूची करीब 06:50 से 07:00 बजे सुबह के बीच में बना था।"

14. **अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– दिलीप कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि "**यह घटना दिनांक– 27.08.2022 की है। उक्त तिथि को मैं बाराचट्टी थाना में चालक सिपाही पद पर पदस्थापित था। मैं ए0 एस0 आई0 आशिष भारती, विनोद कुमार, नित्यानंद प्रसाद एवं अमरनाथ स्वतंत्र के साथ गश्ती के लिए करीब 11:00 बजे रात्रि में निकले थे। हमलोग रोड पर ही गश्ती कर रहे थे। दिनांक– 27.08.2022 को सुबह में पदाधिकारी को सूचना मिली तो हमलोग धनावां गांव में गये। हमलोग रास्ते में जा ही रहे थे तो मोटरसाइकिल से गांव के तरफ से दो व्यक्ति आ रहे थे तो पुलिस गाड़ी को देखकर वे लोग गाड़ी छोड़कर जंगल की ओर भागने का प्रयास किये तो हमलोग पकड़ लिये। उसके बाद उनका नाम पुछने पर पप्पू कुमार एवं कृष्णा कुमार बताये। उसके बाद हमलोग उनकी तलाशी लिये एवं दोनों से बारी–बारी पुछा गया तो उनलोगों की बात सही नहीं लगी। गाड़ी की डिक्की में 07 लाख 20 हजार रूपया थे। उसके बाद हमलोग अभियुक्तों से पुछताछ किये कि यह पैसा कहां से आया तो वे लोग घबराने लगा और बोला की कच्चा माल खरीदकर उसको अफिम एवं ब्राउन सुगर बनाकर बेचते है उसी का पैसा है। वहां कोई प्राइवेट व्यक्ति उपस्थित नहीं था इसलिए स्वतंत्र साक्षी विनोद कुमार एवं सिपाही अमरनाथ स्वतंत्र को बनाया गया था। उस पैसा को वहां रखकर वरीय पदाधिकारी को सूचना दिये। सूचना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी महोदय एवं अंचलाधिकारी महोदय आये। उसके बाद कृष्ण कुमार के घ ार पहुंचे और उसके घर का विधिवत तलाशी लिये तो डोडा जैसा पदार्थ 400 ग्राम, 05 किलो अफिम, 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला था। उसके बाद घटना स्थल पर ही जब्त सामान को तौलकर विधिवत सील किया गया एवं जब्त सामान का जब्ती सूची भी तैयार किया गया था। उसके बाद जब्त सामान एवं अभियुक्तगण को लेकर थाना आये। साक्षी आगे कहते है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण कृष्ण कुमार एवं पप्पू कुमार को पहचानते है"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि "गश्ती के लिए निकलते समय मुझे कमान नहीं मिलता है। मैं उस गाड़ी का चालक था। जिस जगह पर ए0 एस0 आई0 आशीष भारती ने गाड़ी रोकने को कहा उस जगह का नाम याद नहीं है। मेरे द्वारा गाड़ी रोके जाने पर गश्ती दल के अन्य सदस्य घटना स्थल पर गये और वे लोग बताये की मोटरसाईकिल बरामद हुई है। पुनः कहते है कि रोड पर ही मोटरसाईकिल लगी हुई थी। मेरे गाड़ी से लगभग 10 फीट की दूरी पर मोटरसाईकिल था। अभियुक्तगण जब भागे तो मैं गाड़ी पर था। गश्ती दल में शामिल अन्य सिपाही अभियुक्तगण को पकड़े थे। जब्त मोटरसाईकिल का नंबर याद नहीं है। सबके सामने आशीष भारती ने पैसा गिना और उन्होनें बताया की कितना पैसा है। गाड़ी की डिक्की में पैसा रखना कोई गुनाह नहीं है। उक्त तिथि को थाना में तीन चालक प्रतिनियुक्त थे। जिसमें एक चालक का नाम संजय कुमार सिंह एवं अमोद कुमार एवं मैं था। जहां पर पैसा बरामद हुआ था वहां पर थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी बाद में करीब 06 बजे आ गये थे। जिस जगह पैसा बरामद हुआ वह थाना से दक्षिण दिशा में करीब 5–6 किलोमीटर है। थाना से धनावां गांव दक्षिण दिशा में है लेकिन कितनी दूरी पर है यह याद नहीं है। पैसा बरामद होने के बाद हमलोगों के साथ थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी साथ में ही धनावां गांव गये थे। धनावां गांव पहूंचने पर अगल–बगल के लोग इकठ्ठा हो गये थे लेकिन कितने लोग थे याद नहीं है। मैं घर के अंदर नहीं गया था। मेरी गाड़ी तलाशी वाले घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। घ ेराबंदी में मैं भी शामिल था क्योंकि मुझे बोला गया की आप भी खड़े रहिए। घर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर घेराबंदी किया गया था। घेराबंदी में कौन–कौन व्यक्ति किस तरफ खड़े थे याद नहीं है। घर का मुख्य दरवाजा किस तरफ था याद नहीं है। जांच के क्रम में घटना स्थल के पास मैनें किसी कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किया था। घर की तलाशी की प्रक्रिया का कोई विडियोग्राफी नहीं हुआ था। हमलोग घटना स्थल पर करीब आधे घंटे रूके थे। जब्त

सामान को सील किया गया था एवं सील करते वक्त मैं वहां नहीं था। मुझे बताया गया था की डोडा जैसा पदार्थ 400 ग्राम, 05 किलो अफिम, 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला है। मेरा बयान थाना में ए0 एस0 आई0 आशीष भारती ने लिया था। मेरा बयान लिये जाते समय ए0 एस0 आई0 आशीष भारती कुछ लिख रहे थे लेकिन मुझसे उसपर हस्ताक्षर नहीं करवाये थे। कितने दिन बाद मेरा बयान लिये थे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि पुलिस के बयान में मैंनें यह बताया था या नहीं की घटना स्थल पर जब्त सामान को विधिवत सील किया गया था। पुलिस के बयान में मैनें यह बताया था की डोडा जैसा पदार्थ 400 ग्राम, 05 किलो अफिम, 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला है। जिस रोड पर मोटरसाईकिल था वह रोड उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर था। हमलोगों की गाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी और मोटरसाईकिल दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी।"

15. **अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– आशिष भारती, सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के कम में कथन किया है कि** "यह घटना दिनांक– 27.08.2022 की है। उक्त तिथि को मैं बाराचट्टी थाना में पु0 स0 अ0 नि0 के पद पर पदस्थापित था। दिनांक– 26.08.2022 को रात्रि गश्ती में विनोद कुमार, नित्यानंद राय एवं अमरनाथ राय एवं चालक दिलीप कुमार के साथ था तो दिनांक– 27.08.2022 को करीब 05 बजे सुबह में गुप्त सूचना मिली तो मैं थानाध्यक्ष को सूचना देते हुए ग्राम– धनांवा के लिए प्रस्थान किए तो उसी रास्ते में स्पलैंडर से दो आदमी आ रहे थे तो जब उन्हें हमलोग रोकने लगे तो वेलोग उतरकर भागने लगे तो उन दोनों को पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया और नाम पुछने पर उन्होने अपना नाम कृष्ण कुमार एवं पप्पु कुमार नाम बताया। रात्रि के समय वहां किसी स्वतंत्र गवाह के मौजूद न रहने के कारण अपने सहकर्मी सिपाही विनोद एवं नित्यानंद को स्वतंत्र गवाह बनाते हुए मोटरसाईकिल की जांच की गयी। वहां मजिस्टेट आरती कुमार, राजस्व पदाधिकारी सूचना मिलने पर आयी। उसके बाद जब मोटरसाइकिल की डिक्की को चेक किया गया तो उसमें 07लाख 20 हजार रूपया मिला एवं उसी जगह उसका जब्ती सूची बनाया गया एवं उनलोगों से पैसों के बारे में पुछने पर बताया की अफिम बेचकर यह पैसा लाये है। उसके बाद हमलोग अभियुक्त कृष्ण कुमार के घर पर गये और उसके घर की तलाशी लेने पर 05 किलो अफिम जैसा पदार्थ, 04 किलो डोडा जैसा पदार्थ एवं 01 किलो ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला एवं एक मशीन मिला था जिसका उसके घर पर ही मजिस्टेट के समक्ष जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। जब्ती सूची का एक–एक प्रति अभियुक्त को हस्तगत कराया गया। उसके बाद हमलोग गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण कुमार एवं पप्पू कुमार एवं जब्त सामान को सील पैक करके वापस थाना ले आये। मोटरसाईकिल स्पैलडर प्लस जिसका रजि0 नं0– बी0आर0–02ए0टी0–8921, इंजन नं0– एच0 ए0 10ए0 जी0 के0 एच0 ई0 बी03481, चेचिस नं0– एम0 बी0 एल0 एच0 ए0 डबलू0 ओ0 93के0 एच0 ई0 72590 के डिक्की में प्लास्टिक से बंधा रूपयों की जब्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिसपर मेरा, सिपाही अमरनाथ राय एवं साक्षी विनोद कुमार एवं मजिस्टेट सुश्री आरती कुमारी का हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूं। साक्षी के पहचान पर संपूर्ण जब्ती सूची को **प्रदर्श–3** अंकित किया गया। दूसरा जब्ती सूची जो अभियुक्त कृष्ण कुमार के द्दार से अंदर बना बक्सानुमा स्थान प्लास्टिक के झोला से प्लास्टिक में बंधा रखा अफिम जैसा पदार्थ जिसका वजन 05 किलो, प्लास्टिक में बंधा डोडा जैसा पदार्थ जिसका वजन 04 किलो, एवं प्लास्टिक में बंधा ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ जिसका वजन 01 किलो एवं लोहे का भठ्ठी तैयार करने वाला सामान मिला जिसका जब्ती सूची मेरे द्वारा तैयार किया गया जिसपर मेरा, साक्षी विनोद कुमार एवं सिपाही अमरनाथ राय एवं राजस्व पदाधिकारी आरती कुमारी का भी हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूं साक्षी के पहचान पर जब्ती सूची को **प्रदर्श–4** अंकित किया गया। अभियुक्तगण ग्रामीण से कच्चा माल खरीदकर अफिम एवं ब्राउन सुगर बनाकर बेचते थे। दोनों अभियुक्तों कृष्ण कुमार एवं पप्पु कुमार का गिरफ्तारी ज्ञाप मेरे द्वारा बनाया गया है जिसे

पहचानता हूं जिसे क्रमशः **प्रदर्श– 5 एवं 6** अंकित किया गया। टंकण आवेदन मेरे द्वारा तैयार करवाया गया है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानता हूं, जिसे **प्रदर्श–7** अंकित किया गया। साक्षी आगे कहते है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण कृष्ण कुमार एवं पप्पू कुमार को पहचानते है।"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि " जब्ती की प्रक्रिया का कोई विडियोग्राफी नहीं किया गया था। विडियोग्राफी क्यों नहीं किया गया इसका भी कोई कारण नहीं लिखा गया है। मादक पदार्थ का सैंपल घटनास्थल पर नहीं निकाला गया था। मोटरसाईकिल एवं रूपया के जब्ती सूची दिनांक– 27.08.2022 को करीब 05:55 बजे बना था पर मैनें कांड संख्या नहीं दर्ज किया है। जिस समय रूपया बरामद किया गया था उस समय राजस्व पदाधिकारी, आरती कुमारी वहां मौजूद नहीं थी। मादक पदार्थ की जब्ती सूची पर मैनें कांड संख्या– 776/2022 दिनांक– 27.08.2022 करीब 07:30 बजे दर्ज किया है परंतु समय शाम था या सुबह यह अंकित नहीं किया है। इस कांड का प्राथमिकी दिनांक– 27.08.2022 को करीब 09:45 बजे दर्ज किया है। थाना में सूचना प्राप्त करने का समय 09:45 अंकित है। दोनों जब्ती सूची थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के पूर्व का बना हुआ है। मादक पदार्थ का जब्ती सूची घटना स्थल पर ही बनाया गया था। अरेस्ट मेमो अभियुक्त पप्पु कुमार का 08:05 बजे बनाया गया था एवं अभियुक्त कृष्ण कुमार का अरेस्ट मेमो 08:10 बजे बनाया गया था। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी ज्ञाप में बाराचट्टी थाना कांड संख्या– 776/2022 अंकित है। एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट की धारा– 50 का नोटिस अभिलेख पर नहीं है लेकिन लिखित आवेदन में मैनें एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट की धारा– 50 का नोटिस का चर्चा मैनें किया है। अभियुक्त कृष्ण कुमार के ग्राम–धनावां पहुंचने पर करीब 10–15 ग्रामीण इकठ्ठा हो गये थे परंतु उनलोगों का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि उनलोगों से नाम पुछने पर अपना नाम बताने से इंकार कर दिये थे। अभियुक्त कृष्ण कुमार के घर में कितना कमरा है इसका जिक्र मैनें जब्ती सूची में नहीं किया है एवं घर का मुख्य निकास किस रूख का है यह भी नहीं लिखा गया है। सभी मादक पदार्थ को अलग–अलग उजला कपड़ा में सील किया गया था। सील का नमूना निजी था परंतु उसपर नाम नहीं लिखा हुआ है। सील पीतल का था। सील के नमूने को कागज पर नहीं दिया गया था। हमलोग गश्ती में गजड़ागढ़ बाजार में थे तो सूचना मिली थी। गजड़ागढ़ बाजार से धनावां गांव उत्तर में करीब 10 किलोमीटर है। थाना से गजड़ागढ़ बाजार पूरब में करीब डेढ़–तीन किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा पुनः बयान हुआ था। मैनें सारा जब्त सामान थाना में सुपुर्द किया था लेकिन किसे सुपुर्द किया था यह मैनें अपने बयान में नहीं कहा है। रात्रि गश्ती में निकलने की बात स्टेशन डायरी में दर्ज किया गया था लेकिन उसकी प्रविष्टी संख्या याद नहीं है। मेरे साथ रात्रि गश्ती में तीन पुलिसकर्मी एवं एक चालक थे जिसमें सिपाही सं0–944 विनोद कुमार, सिपाही सं0–1102, अमरनाथ स्वतंत्र, सिपाही सं0– 835 नित्यानंद कुमार एवं चालक सिपाही दिलीप कुमार का नंबर याद नहीं है। मोटरसाईकिल जिस जगह पर पकड़ा गया था उसकी चौहद्दी याद नहीं है। मोटरसाईकिल का चेचिस नंबर एवं इंजन नंबर याद नहीं है परंतु रजि0 नं0 बता सकता हूं। मोटरसाईकिल जिस जगह जब्त किया गया था वहां जंगल था इसलिए कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं था। वहां से गांव 05–06 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं किसी स्वतंत्र साक्षी को बुलाने का कोशिश नहीं किया था। मोटरसाईकिल किसके नाम पर थी यह मैनें कहीं नहीं लिखा है। अभियुक्तों का नाम सही है या नहीं इसकी पुष्टी के लिए मैनें कोई आधार कार्ड नहीं लिया था।"

16. **अभियोजन साक्षी संख्या – 6 :– आरती कुमारी, राजस्व अधिकारी, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि "**यह घटना दिनांक– 26.08.2022 की है परंतु मैं दिनांक– 27.08.

2022 की सुबह 07:30 बजे घटनास्थल पर पहूंची थी उक्त तिथि को मैं बाराचट्टी अंचल में राजस्व अधिकारी के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन मैं धनावां गांव थानाध्यक्ष के सूचना पर पहूंची थी और साथ में तराजू लेकर गयी थी। वहां पहूंचने पर पुलिस पदाधिकारी आशिष भारती,एस0 आई0 और दो अमरनाथ और विनोद कुमार स्वतंत्र साक्षी बने थे। हमलोग अपनी जमा तलाशी देते हुए अभियुक्त के घर की तलाशी लिए जिसमें अभियुक्त कृष्ण कुमार के घर से अफिम जैसा पदार्थ 05 किलो, डोडा 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर 1 किलो बरामद किया गया था। उसके बाद घटनास्थल पर ही मेरे समक्ष जब्ती सूची आशीष भारती द्वारा बनाया गया था जिसपर दोनों गवाह, आशीष भारती एवं मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूं। साक्षी के पहचान पर मादक पदार्थ की जब्ती सूची पर साक्षी के हस्ताक्षर को **प्रदर्श– 4/1** अंकित किया जाता है। जब्ती सूची की एक–एक प्रति दोनों मुदालयों को दिया गया था। रास्ते में मोटरसाईकिल की डिक्की से बरामद 07 लाख 20 हजार रूपये का जब्ती सूची आशीष भारती के द्वारा बनाया गया था जिसपर मेरा, आशीष भारती एवं दोनों स्वतंत्र गवाहों का हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूं। साक्षी के पहचान पर रूपयों की जब्ती सूची को **प्रदर्श–3/1** अंकित किया जाता है। दो अभियुक्त पप्पु कुमार एवं कृष्ण कुमार पकड़ाये थे।साक्षी आगे कहती है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण पप्पु कुमार एवं कृष्ण कुमार को पहचानती हैं।”

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के कम में इस साक्षी ने कथन किया है कि “मेरे सामने जो भी प्रक्रिया हुआ उसका कोई विडियोग्राफी किया गया या नहीं याद नहीं है। आज न्यायालय में मैं पहली बार गवाही दे रही हूं आज से पूर्व इस केस में मेरा कहीं बयान दर्ज नहीं हुआ है। मेरे सामने सैंपलिंग नहीं किया गया था। घर में कुल कितने कमरे थे यह मैं नहीं बता सकती हूं एवं घर किस रूख का था यह मुझे याद नहीं है। धनावां गांव के रास्ते में बाइक से जब पैसा बरामद किया गया था उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। जब्ती सूची पर जब्ती का तिथि दिनांक– 27.08.2022 और समय 05:55 सुबह अंकित है। जब्ती सूची पर जब्ती का स्थान उपर लिखा हुआ है परंतु हस्ताक्षर के पास जब्ती का स्थान नहीं लिखा हुआ है। मैं अफिम एवं ब्राउन सुगर को देखकर प्रथमदृष्ट्या पहचान सकती हूं परंतु अंतिम रूप से जांच के बाद जांच प्रतिवेदन से पता चलता है। मुझे घटना की सूचना सुबह में मिली थी पंरतु समय याद नहीं है।”

17. **अभियोजन साक्षी संख्या – 7 :– मनोज कुमार, अनुसंधानकर्ता, ने अपने मुख्य परीक्षण के कम में कथन किया है कि** “इस केस का अनुसंधान का भार दिनांक 27.08.2022 को ग्रहण किया और अनुसंधान प्रारंम्भ किया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद मुझे जब्ती सूची, प्राथमिकी आवेदन, जब्त प्रदर्श अफिम, डोडा, ब्राउन सुगर एवं सात लाख बीस हजार नगद रूपया बरामद हुआ था। वादी आशीष कुमार भारती का पुनः बयान लिया तथा साक्षी सिपाही विनोद कुमार, अमरनाथ कुमार, नित्यानन्द प्रसाद एवं चालक सिपाही दिलीप कुमार का बयान लिया। अभियुक्त पप्पु कुमार का स्वीकारोक्ति बयान लिया। दोनों घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रथम घटना स्थल जो कि धनावां जगंल गांव में जाने वाली सड़क जिसके उत्तर में बाराचटटी जाने वाली सड़क, दक्षिण ग्राम धनावां जाने वाली सड़क, पुरब एवं पश्चिम वण विभाग का जमीन। द्वितिय घटना स्थल ग्राम धनावां में स्थित कृष्ण कुमार का एक मंजीला मकान का निरीक्षण किया जिसके उत्तर में संजय यादव का धान लगा खेत, दक्षिण में कैलु यादव का धान लगा खेत, पुरब में राजेश कुमार का परती खेत एवं पश्चिम में राजेश कुमार का धान लगा खेत। घटना स्थल पर स्वतंत्र साक्षीयों की खोज किया परन्तु कोई भी वहॉ मौजुद नहीं थे। जब्त प्रदर्श को मालखाना में जमा कराया था। थाना सिरिस्ता में दोनों अभियुक्त को रखा गया था, तथा गिरफतारी ज्ञापांक बनाया। अभियुक्त कृष्णा कुमार का स्वीकारोक्ति बयान लिया। माननीय न्यायालय में आकर जब्त प्रदर्श को सिल बंद कराने

हेतु एवं जांच कराने हेतु आवेदन दिया। आदेश प्राप्त कर प्रदर्श को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष सिल किया गया। जज साहब के आदेश प्राप्त कर सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना को जाकर जमा कराया। इसके बाद कांड को सत्य पाते हुये अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 821/2022 दिनांक 22.11.2022 धारा 18, 20, 22 एन0 डी0 पी0 एस0 के अंतर्गत पप्पु कुमार एवं कृष्णा कुमार के विरूद्ध समर्पित किया तथा कुछ बिंदू पर अनुसंधान जारी रखा। मेरा हस्तनान्तरण जाने के कारन पुरक अनुसंधान का भार तत्कालीन थाना प्रभारी को सौंपा। आवेदन पर पृष्ठांकन थाना लेखक राजीव के लिखावट में एवं थानाध्यक्ष रामलखन पंडीत के हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूॅ। जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/1** अंकित किया गया। औपचारीक प्राथमिकी थाना मुंशी राजीव कुमार के लिखावट एवं थानाध्यक्ष राम लखन पंडीत के हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूॅ जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/2** अंकित किया गया। ओराप पत्र सं0 821/2022 जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूॅ जिसे प्रदर्शः–**P.W.-7/3** अंकित किया गया। प्रदर्श को सिल एवं सैपलींग के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त करने हेतु आवेदन न्यायालय में दिया था जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/4** अंकित किया गया। सैपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने हेतु अग्रसारन पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है जिसे पहचानता हूॅ जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/5** अंकित किया गया। प्रदर्श को पटना विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा जिसका प्राप्ती रसीद प्राप्त किया जिसे पहचानता हूॅ जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/6** अंकित किया गया। साक्षी आगे कहते है कि न्यायालय के समक्ष जब्त प्रदर्श को एक बोरे में रस्सी से बंधा हुआ बिना सिल का प्रस्तुत किया गया जिसके उपर काले रंग के कलम से पी0 एल0 117/2022 बाराचटटी ब्लू रंग के कलम से एफ 476/2022 लिखा हुआ है। बोरे का मुंह खोले जाने पर लाला कपड़े में बंधा हुआ तीन पोटली जो सिलबंद है एवं उसपर कागज चिपका हुआ है तीनों पोटलीयों पर चिपके हुये कागज पर बाराचटटी थाना कांड सं0 776/2022 दिनांक 27.08.2022 धारा 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट लिखा हुआ है एवं वादी, अभियुक्त, आर0 ओ0 बाराचटटी आरती कुमारी का हस्ताक्षर है। तीनों पोटलीयों में अलग अलग अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर है। तीनों को बस्तु प्रदर्श को क्रमशः **प्रदर्शः–एम01 अफिम, एम02 डोडा एवं एम03 ब्राउन** सुगर अंकित किया गया। पुलिस लाईन केंद्रीय मालखाना रजिस्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके प्रथम पृष्ठ पर बनी हुयी सूची जो संबंधीत थाना एवं उस थाना से संबंधीत पेज नम्बर एवं अभियुक्ति अंकित है जिसमें कम सं0 1 में कोतवाली थाना, कम सं0 2 में सिविल लाईन थाना जिसके बीच में बिना कम सं0 के बाराचटटी थाना अंकित है जिसके सामने पेज नम्बरर 9–20 अंकित है। जिसमें पेज नम्बर 9 में कम सं0 63 पर अंकित है। इस पृष्ठ को न्यायालय के निर्देषानुसार **प्रदर्शः–ए** (कोर्ट) अंकित किया गया। इस रजिटर के पेज 9 के कम सं0 63 में बाराचटटी थाना कांड सं0 776/2022, प्रदर्श विवरणी एक प्लास्टिक के उजले झोले में सिलबंद, 400 ग्राम डोडा, 01 किलोग्राम ब्राउन सुगर, 05 किलोग्राम अफिम तीनों का कुल वजन 6.400 किलोग्राम, पी0 एल0 एम0 आर0 नम्बर 117/2022 तथा जमा करने की तिथि 19.10.2022 अंकित है। अभियुक्ति में अनुसंधानकर्ता श्री मनोज कुमार एवं मोबाईल नम्बर लिखा हुआ है। जिसे प्रदर्शः– **P.W.-7/7** अंकित किया गया। साक्षी का कहना है कि न्यायालय में उपस्थित दोनों मुदालय को पहचानते है।"

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के कम में इस साक्षी ने कथन किया है कि "यह ठीक है कि केस डायरी के कंडिका 1 में मैंने यह नहीं लिखा है कि मुझे बस्तु प्रदर्श मिला है। यह ठीक है कि इस कांड के सूचक आशिष भारती ने अपने बयान में नहीं बताया है कि बस्तु प्रदर्श को उसने किसे सुपूर्द किया था। यह ठीक है कि न्यायिक दंडाधिकारी महोदय से सैंपलींग करने के पूर्व जब्त प्रदर्श को कहा रखा गया था, इसका जिक कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है लेकिन मालखाना में रखा जाता है तथा यह भी अंकित नहीं है कि

सैपलींग से पूर्व जब्त बस्तु प्रदर्श को कहा रखा गया था, उसका कागजी प्रमाण नहीं है। इसका जिक्र स्टेशन डायरी में अंकित कर थाना मालखाना में रखते हैं लेकिन इसका जिक्र कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। अभियुक्तों की गिरफतारी की सूचना अपने वरीय पदाधिकारी को दिया था लेकिन कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है। घटना स्थल वाली मकान किस रूख का था, यह अंकित नहीं है। उस मकान में कितने कमरे थे, यह भी अंकित नहीं किया गया है। यह ठीक है कि सिपाही विनोद कुमार एवं सिपाही अमरनाथ, सिपाही नित्यानन्द प्रसाद, चालक सिपाही दिलीप कुमार ये चारों गवाहों ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि कृष्णा कुमार के घर से अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर बरामद हुआ था। जब्त प्रदर्श का सैंपलींग दिनांक 06.09.2022 को कराया गया था। कांड दैनिकी में यह अंकित नहीं है कि कितने ग्राम का कितना सैंपल बनाया गया था। प्रदर्शः–P.W.-7/5 को देखने से पता चलता है कि जिसके कंडिका–ए में 50 ग्राम अफिम, बी में 50 ग्राम डोडा एवं सी में 50 ग्राम ब्राउन सुगर अंकित है। इसे देखने से पता चलता है कि जांच हेतु भेजने के लिए तीनों जब्त बस्तु प्रदर्श का मात्र एक हीं सैंपल तैयार किया गया था जिसे एफ0 एस0 एल0, पटना में जांच हेतु भेजा गया। भेजे गये सैंपल जाचोंपरान्त एफ0 एस0 एल0, पटना से वापस लौटकर नहीं आया। एफ0 एस0 एल0 द्वारा भेजे गये जांच रिपोर्ट में तीनों बस्तु प्रदर्श का वजन 100–100 ग्राम अंकित किया हुआ है। मैंने अपने अनुसंधान के दौरान राजस्व पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष का बयान अंकित नहीं किया था। जांच हेतु जब्त बस्तु प्रदर्श का एक के अलावे दुसरा कोई सैंपल नहीं बनाया गया । सैंपलींग का विडियोग्राफी नहीं कराया गया था। गवाहों ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि कौन कौन व्यक्ति घर में प्रवेश किये थे। जब्त प्रदर्श पुलिस लाईन के केंन्द्रिय मालखाना में किस दिन जमा किया गया था, कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। जब्ती के बाद एवं केन्द्रिय मालखाना में जमा करने से पहले जब्त बस्तु प्रदर्श को किसके जिम्मे में रखा गया, यह कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। सैंपलींग के समय उपयोग किये गये सिल को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। यह ठीक है कि केन्द्रिय मालखाना रजिस्टर में प्रथम पृष्ठ पर अंकित क्रम सं0 1 एवं 2 के बीच में बाराचटटी थाना अधिलेखित किया गया है लेकिन इस संबंध में मैं कुछ नहीं बता सकता। जब्त रूपयों का जब्ती सूची दिनांक 27.08.2022 को 05:55 बजे बनी थी। इस जब्ती सूची पर भी राजस्व अधिकारी का हस्ताक्षर है। प्राथमिकी में लिखा हुआ है कि राजस्व अधिकारी एवं थानाध्यक्ष 06:45 बजे तराजु लेकर घटना स्थल पर उपस्थित हुये हैं। अफिम का जब्ती सूची पर कांड संख्या बाराचटटी थाना कांड सं0 776/2022 अंकित है। इस घटना का प्राथमिकी दिनांक 27.08.2022 को 09:45 मिनट पर अंकित किया गया था। रूपयों एवं अफिम बरामद होने की दोनों जब्ती सूचीयों पर कहीं भी कैंप कर स्थान का नाम अंकित नहीं है। जिस घर से बस्तु प्रदर्श जब्त किया गया था, उस घर में उपलब्ध अन्य समानों का जिक्र कांड दैनिकी में नहीं किया गया है। मैंने स्वतंत्र साक्षीयों को बयान लेने हेतु खोजा था लेकिन कोई बयान देने को उपस्थित नहीं हुआ था। इस कांड में जब्त समान का इनवेंटरी नहीं बनाया गया था। जब्त समान का वजन जब्ती सूची में अफिम 5 किलोग्राम, डोडा 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर 1 किलोग्राम है और मालखाना में जमा करते समय अफिम 5 किलोग्राम, डोडा 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर 1 किलोग्राम है। मैंने किस ग्रामिण से गवाह बनने और बयान देने के लिए कहा था, उसका नाम नहीं लिखा है। जिस मोटरसाईकिल से रूपया बरामद होने की बात कहीं है उसका नम्बर नहीं लिखा है। सफाई बयान मैंने नहीं लिया था। अभियुक्त पप्पु कुमार को गिरफतार करने के बाद उसका नाम पता के सत्यापन के संबंध में कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है।”

18. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री

साहदुल्ला फारूखी अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 7 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है तथा 18 दस्तावेजों को अवलोकनार्थ प्रदर्श भी कराया गया है एवं 03 बस्तु प्रदर्श क्रमश अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर को भी न्यायालय में प्रदर्श कराया गया है। सभी साक्षीयों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रदर्शः–8 जोकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जांच प्रतिवेदन है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि जब्त बस्तु प्रदर्श अफीम एवं डोडा था। जप्त बस्तु प्रदर्श व्यवसायिक मात्रा में बरामद हुआ था। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर अभियोजन द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन अभियुक्त पप्पु कुमार यादव एवं कृष्ण कुमार के संबंध में मामले को युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पप्पु कुमार यादव एवं कृष्ण कुमार को दोषसिद्ध किया जाय।

19. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्राथमिकी आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि साक्षी राजस्व अधिकारी आरती कुमारी रूपये की जप्ती के समय घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थी। परन्तु प्रदर्श 3, रूपये बरामद होने की जप्ती सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरती कुमारी जप्ती सूची पर हस्ताक्षर की थी जो कि प्रदर्शः–3/1 अंकित है। प्रदर्श 3 एवं 4 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों जप्ती सूची दिनांक 27.08.2022 को समय करीब 05:55 एवं 07:30 बजे पर बनायी गयी थी तथा उसपर प्राथमकी संख्या अंकित है जबकि औपचारिक प्राथमिकी (प्रदर्श–7/2) के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राथमिकी 09:45 अपराहण में दर्ज की गयी थी जो पुरे मामले को हीं संदेहास्पद बना देता है। अभियोजन साक्षी सं0 1 अपने संपूर्ण मुख्य परिक्षण के दौरान किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 10 में यह बात स्वीकार किया है कि यह साक्षी पहली बार न्यायालय में गवाही दे रहा है, इसके पूर्व इस साक्षी का बयान कहीं भी नहीं हुआ है। अभियोजन साक्षी सं0 2 जो छापेमारी दल का सदस्य है, ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 9 में कहा है कि उस रास्ते पर एक हीं मोटरसाईकिल आया था जिससे मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था और किसी के बदन से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 15 में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त पप्पु के पास से कोई भी चिज बरामद नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी सं0 3 ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4 एवं 5 में कहा है कि जिस समय छापेमारी दल के लोग घर पर गये थे उस समय घर में ताला नहीं लगा हुआ था, दरवाजा बंद था एवं उस समय घर में कोई आदमी नहीं था एवं घर के अंदर के कमरों में भी ताला नहीं लगा हुआ था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण के कंडिका 6 में कहा है कि गुलबंद लगाये हुये अभियुक्त ने बताया कि यह घर उसका है। जबकि गुलबंद लगाये हुये व्यक्ति से न्यायालय द्वारा नाम पुछे जाने पर उसने अपना नाम पप्पु कुमार बताया है। यह साक्षी, जो कि जप्ती सूची का गवाह है, ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 27 में कहा है कि बरामद पैसे की जप्ती सूची घर के पास हीं बना था अर्थात दोनों जप्ती सूची (प्रदर्श–3) उसमें उल्लेखित जप्ती का स्थान ग्राम–धनावां जाने वाली सड़क पर न बनाकर जप्त बस्तु प्रदर्श की जप्ती सूची घर के अभियुक्त के घर के पास बनायी गयी है। अभियोजन साक्षी सं0 4 ने अपने प्रति परीक्षण के दौरान कंडिका 11 में कहा है कि गाड़ी के डिक्की में पैसा रखना कोई गुनाह नहीं है। इस साक्षी ने कंडिका 19, 20 एवं 21 में कहा है कि यह साक्षी घर के अंदर नहीं गया था बल्कि घर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर घेराबंदी कर रखा था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण के कंडिका 27 में कहा है कि जप्त समान को सिल करते वक्त यह साक्षी उपस्थित नहीं था। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण के कंडिका 29 में कहा है कि इसका बयान थाना में आशिष भारती ने लिया था जबकि आशिष भारती इस कांड के अनुसंधानकर्ता नहीं हैं बल्कि इस कांड के सूचक हैं और कांड के अनुसंधानकर्ता अभियोजन साक्षी सं0 7 मनोज कुमार हैं। अभियोजन साक्षी सं0 5 सूचक ने

अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 4 में कहा है कि मादक पदार्थ का सैंपल घटना स्थल पर नहीं निकाला गया था जबकि अभियोजन साक्षी सं0 4, जो छापेमारी दल के सदस्य एवं जप्ती सूची के गवाह हैं ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 में कहा है कि तीनों पदार्थ में से एक एक पुड़िया निकाला गया और उस सभी पुड़िया को सिल किया गया लेकिन इसने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अभियोजन साक्षी सं0 5 ने अपने प्रति परीक्षण कंडिका 6 में कहा है कि जिस समय रूपया बरामद किया गया था, उस समय राजस्व पदाधिकारी आरती कुमारी वहॉ मौजुद नहीं थी जबकि अन्य सभी गवाह बोले हैं कि आरती कुमारी के समक्ष रूपया बरामद किया गया था। अभियोजन साक्षी सं0 6 स्वयं आरती कुमारी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 7 में यह कहा है कि जब बाईक से पैसा बरामद किया गया था उस वक्त यह साक्षी वहॉ मौजुद थी। इस प्रकार अभियोजन साक्षी सं0 5 सूचक एवं अभियोजन साक्षी सं0 6 राजस्व पदाधिकारी का यह दोनों हीं कथन एक दूसरे का खंडनकारी है। अभियोजन साक्षी सं0 7 मनोज कुमार जो इस कांड के अनुसंधानकर्ता हैं ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 4, 5 एवं 6 में कहा है कि सूचक आशिष भारती ने अपने बयान में इस साक्षी को नहीं बताया था कि बस्तु प्रदर्श को उसने किसको सूपूर्द किया था और यह भी बात सही है कि न्यायिक दंडाधिकारी महोदय से सैंपलिंग करने से पूर्व जप्त प्रदर्श को कहा रखा गया था, इसका जिक्र कांड दैनिकी में अंकित नहीं है लेकिन मालखाना में रखा जाता है परन्तु सैंपलिंग के पूर्व जप्त बस्तु प्रदर्श को कहा रखा गया था, उसका कागजी प्रमाण नहीं है। यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 9 में यह भी कहा है कि इस कांड के चारो गवाह विनोद कुमार, अमरनाथ, नित्यानन्द प्रसाद एवं दिलीप कुमार में से किसी ने अपने बयान में यह नहीं कहा है कि अभियुक्त कृष्णा कुमार के घर से अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर बारामद हुआ था। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 11 में यह साक्ष्य दिया है कि प्रदर्शः–पी0डब्लू–7/5 को देखने से यह पता चलता है कि कंडिका–ए में 50 ग्राम अफिम, कंडिका–बी में 50 ग्राम डोडा एवं कंडिका–सी0 में 50 ग्राम ब्राउन सुगर अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि तीनों जब्त प्रदर्श से 50–50 ग्राम जांच हेतु सैंपल निकाला गया था, जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 13 में कहा है कि एफ0 एस0 एल0 द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन में तीनों बस्तु का वजन 100–100 ग्राम अंकित किया हुआ है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 16 में यह कहा है कि जांच हेतु जप्त बस्तु प्रदर्श का एक के अलावा दुसरा कोई सैंपल नहीं बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के पास से बरामद बस्तु प्रदर्श से निकाला गया सैंपल जांच हेतु एफ0 एस0 एल0 नहीं भेजा गया है बल्कि कोई अन्य सैंपल जांच हेतु भेजा गया था। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 15 में यह भी कहा है कि उसने अनुसंधान के दौरान राजस्व पदाधिकारी (साक्षी सं0 6) एवं थानाध्यक्ष का बयान अंकित नहीं किया। अर्थात साक्षी सं0 6 का अनुसंधान के दौरान कोई बयान नहीं हुआ है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 31 में यह भी कहा है कि जप्त समान का वजन जप्ती सूची में अफिम 5 किलोग्राम, डोडा 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर 1 किलोग्राम और मालखाना जमा करते समय भी अफिम का वजन 5 किलोग्राम, डोडा 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर 1 किलोग्राम हीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सैंपलिंग के लिए बस्तु पदर्श में से कोई भी मात्रा निकाली नहीं गयी है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्त कृष्णा कुमार एवं पप्पु कुमार के संबंध में मामले को युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त कृष्णा कुमार एवं पप्पु कुमार को दोषमुक्त किया जाय।

20. उभय पक्षों का तर्क सुनने के बाद यह न्यायालय अभिलेख अवलोकनोपरान्त पाती है कि अभियोजन साक्षी सं0 5 सूचक ने मुख्य परीक्षण में प्राथमिकी के अनुसार हीं घटना का पूर्ण समर्थन करते हुये साक्ष्य दिया है कि यह साक्षी दिनांक 26.08.2022 को रात्री में विनोद कुमार,

नित्यानन्द राय, अमरनाथ राय एवं चालक दिलीप कुमार के साथ गश्ती में था तो दिनांक 27.08.2022 को करीब 05 बजे सुबह में गुप्त सूचना मिली तब यह साक्षी थानाध्यक्ष को सूचित करते हुये ग्राम—धनावां के लिये प्रस्थान किया तो उसी रास्ते में स्पलेण्डर से दो आदमी आ रहे थे जिन्हे रोकने पर वेलोग उतरकर भागने लगे तब उन दोनों व्यक्तियों को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया। उन दोंनों से नाम पता पुछने पर वे अपना नाम कष्णा कुमार एवं पप्पु बताया। रात्री का समय होने के कारन वहॉ पर कोई स्वतंत्र गवाह मौजुद नहीं था इसलिए पुलिस बल के सिपाही विनोद एवं नित्यानन्द को स्वतंत्र साक्षी बनाते हुये मोटरसाईकिल की जांच की गयी। यह साक्षी आगे मुख्य परीक्षण के दौरान हीं यह कहता है कि घटना स्थल पर मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी आरती कुमारी सूचना मिलने पर आयी। उसके बाद मोटरसाईकिल की डिक्की को चेक किया गया तो उसमें से 7 लाख 20 हजार रूपया मिला एवं उसी जगह पर जप्ती सूची बनायी गयी एवं उनलोगों से पैसा के बारे में पुछने पर वे लोग बताये कि अफिम बेचकर यह पैसा लाये हैं। उसके बाद सूचक अन्य पुलिस बल के साथ कृष्णा कुमार के घर पर गया और तलाशी लिया तो उसके घर पर 5 किलोग्राम अफिम जैसा पदार्थ, 4 किलो डोडा पदार्थ एवं 1 किलोग्राम ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ मिला एवं एक मशीन मिला जिसका उसके घर पर हीं मजिस्ट्रेट/राजस्व अधिकारी के समक्ष हीं जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान आगे पुनः कहा है कि अभियुक्त कृष्णा कुमार के घर से अंदर बना बक्शानुमा स्थान से प्लास्टिक के झोले से प्लास्टिक में बंधा हुआ अफिम जैसा पदार्थ जिसका वजन 5 किलोग्राम, प्लास्टिक में बंधा डोडा जैसा पदार्थ जिसका वजन 4 किलोग्राम एवं प्लास्टिक में बंधा ब्राउन सुगर पदार्थ जिसका वजन 1 किलोग्राम एवं लोहे का भटठी तैयार करने वाला समान मिला, जिसका जप्ती सूची इस साक्षी के द्वारा तैयार किया गया जिसपर इस साक्षी ने भी अपना हस्ताक्षर बनाया। साक्षी के पहचान पर जप्ती सूची को प्रदर्शः—4 अंकित किया गया। जप्ती सूची 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जप्ती सूची के कंडिका 5 में जप्त समानों के विवरण उल्लेखित है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कृष्णा कुमार के घर के अंदर बना बक्शानुमा स्थान से प्लास्टिक के झोला में प्लास्टिक में बांध कर रखा अफिम जैसा पदार्थ जिसका कुल वजन 5 किलोग्राम, डोडा जैसा पदार्थ जिसका कुल वजन 400 ग्राम एवं ब्राउन सुगर जैसा पदार्थ जिसका वजन 1 किलोग्राम बरामद हुआ है। इस प्रकार यहॉ इस साक्षी द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि 4 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ था विश्वसनीय नहीं रह जाता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 1 में कहा है कि राजस्व अधिकारी आरती कुमारी, सूचना मिलने पर आयी उसके बाद मोटरसाईकिल की डिक्की को चेक किया गया तो उसमें 7 लाख 20 हजार रूपया मिला। परन्तु इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 6 में यह कहा है कि जिस समय रूपया बरामद किया गया, उस समय राजस्व पदाधिकारी वहॉ मौजुद नहीं थी। आरती कुमारी, राजस्व अधिकारी स्वयं अभियोजन साक्षी सं0 6 के रूप में अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 7 में यह कहीं है कि जब बाईक से पैसा बरामद किया गया था उस वक्त वह वहॉ माजुद थी। इस प्रकार रूपया बरामदगी के समय मजिस्ट्रेट के रूप में राजस्व अधिकारी आरती कुमारी की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है। इस मामले के दूसरा सबसे महत्वपुर्ण अभियोजन साक्षी सं0 7 अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार हैं। इन्होने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान मामले में कुल दो घटनास्थल बताया है जिसमें प्रथम घटना स्थल को धनावां गांव जाने वाली सड़क जिसके उत्तर में बराचटटी जाने वाली सड़क, दक्षिण में ग्राम—धनावां जाने वाली सड़क एवं पुरब एवं पश्चिम में बन विभाग की जमीन के रूप में स्थापित किया है। द्वितिय घटनास्थल को ग्राम—धनावां स्थित कृष्णा कुमार का एक मंजिला मकान जिसके उत्तर में संजय यादव का धान लगा खेत, दक्षिण में कैलु यादव का धान लगा खेत, पुरब में राजेश कुमार का परती खेत एवं पश्चिम में राजेश कुमार का धान लगा खेत के रूप में स्थापित किया

है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी सं0 3 जो कि छापेमारी दल के सदस्य के साथ–साथ दोनों जप्ती सूची का गवाह भी है, ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 4 एवं 5 में कहा है कि जिस समय पुलिस बल घर में गया था, उस समय घर में ताला नहीं लगा हुआ था बल्कि दरवाजा बंद था एवं उस समय घर में कोई आदमी नहीं था। घर के अंदर के कमरों में भी ताला नहीं लगा हुआ था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसंधानकर्ता ने द्वितिय घ टनास्थल को जो घर स्थापित किया है वह घर बस्ती में न होकर खुले स्थान में खेतों के बीच स्थित है जैसा कि इसके चौहदी से पता चलता है। अभियोजन साक्षी सं0 3 जो कि घटना के चछुदर्शी साक्षी है उसके अनुसार छापेमारी के समय उस घर में ताला बंद नहीं था और वहॉ कोई उपस्थित भी नहीं था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 6 में द्वितिय घटनास्थल के संबंध में यह कहा है कि न्यायालय में उपस्थित गुलबंद लगाये हुये अभियुक्त ने बताया कि वह घर उसका है। परन्तु न्यायालय द्वारा गुलबंद लगाये हुये अभियुक्त से उसका नाम पुछे जाने पर उसने अपना नाम पप्पु कुमार बताया है। जबकि प्राथमिकी के अनुसार एवं जप्ती सूची (प्रदर्श–4) के अनुसार द्वितिय घटनास्थल कृष्णा कुमार का घर है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी सं0 7 अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 9 में यह कहा है कि सिपाही विनोद कुमार, सिपाही नित्यानन्द प्रसाद, सपाही अमरनाथ एवं चालक सिपाही दिलिप कुमार, जो क्रमश अभियोजन साक्षी सं0 1, 2, 3 एवं 4 हैं, नें अपने–अपने बयान में इस साक्षी के समक्ष नहीं कहा था कि कृष्णा कुमार के घर से अफिम, डोडा एवं ब्राउन सुगर बरामद नहीं हुआ था। इस प्रकार अभियोजन इस बात को भी युक्ति–युक्ति संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि जिस घर से आपतिजनक बस्तु बरामद हुआ था वह बास्तव में किसका घर था अथवा वह घर किसके कब्जे था या उसका स्वामी कौन था। अभियोजन साक्षी सं0 7 अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 4 एवं 5 में यह साक्ष्य दिया है कि यह साक्षी कांड दैनिकी की कंडिका 1 में यह नहीं लिखा है कि उसको जप्त बस्तु प्रदर्श सुपूर्द किया गया है एवं इस कांड के सूचक आशिष भारती ने भी अपने बयान में नहीं कहा है कि उसने जप्त बस्तु प्रदर्श को किसे सुपूर्द किया था। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 6 में यह भी कहा है कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा जांच हेतु सैंपलिंग कराये जाने के पूर्व जप्त प्रदर्श को कहा रखा गया था इसके संबंध में कोई भी जिक्र कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया है। इस साक्षी ने आगे यह कहा है कि जप्त प्रदर्श को मालखाना में रखा जाता है। परन्तु कांड दैनिकी में यह अंकित नहीं है कि सैंपलिंग से पूर्व जप्त बस्तु प्रदर्श को कहां रखा गया था और न हीं इसके संबंध में कोई कागजी प्रमाण है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि इसका जिक्र स्टेशन डायरी में अंकित कर जप्त प्रदर्श को मालखाना में रखा जाता है परन्तु इस बात का कोई जिक्र कांड दैनिकी में नहीं है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा पुलिस थाना का स्टेशन डायरी को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न हीं प्रदर्श कराया गया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 में यह कहा है कि जप्त प्रदर्श का सैंपलिंग दिनांक 06. 09.2022 को कराया गया था। इस प्रकार अभियोजन यह स्थापित करने में पुरी तरह से असफल रहा है कि जप्त प्रदर्श को घटना दिनांक 27.08.2022 से दिनांक 06.09.2022 तक कहॉ और किसके कब्जे में रखा गया था। प्रदर्श:–पी0डब्लू–7/7 मालखाना रजिस्टर के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि इस कांड में जप्त बस्तु प्रदर्श को पुलिस केंद्र, गया के मालखाना में दिनांक 19.10.2022 को जमा किया गया है। परन्तु घटना की तिथि 27.08.2022 से दिनांक 19.10.2022 को पुलिस केंद्र, गया के मालखाना में रखे जाने के बीच बस्तु प्रदर्श को कहा रखा गया, इस संबंध में अभियोजन कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर लाने में पुरी तरह से असफल रहा है।

सुनिल कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2023 (3)पी0 सी0 सी0 आर0 34 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये निर्णय की कंडिका 25 एवं 30 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"25-As has been argued by Mr. Mishra, we do not find any material or evidence leading to an inference that the narcotics were kept in the Malkhana. No officer of Malkhana has been examined. In the same series of lapses by the investigating agencey, Malkhana Register certifying the storage of the narcotics in Malkhana has also not been produced. This obviously means that the records were completely deficient with respect to the storage of the narcotics in the meanwhile."

"30- Non-complaince with the statutory requirements and procedures have to be strictly viewed. Any breach woiuld render the prosecution case doubtful, which will ensure only in favour of the accused."

अभियोजन साक्षी सं0 7 अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 10 कें अंतिम पंक्ति एवं कंडिका 11 में यह कहा है कि कांड दैनिकी में यह अंकित नहीं है कि कितने ग्राम का कितना सैंपल बनाया गया। परन्तु प्रदर्श–पी0डब्लू–7/5 (सैंपल को जांच हेतु भेजने के लिए दिया गया आवेदन) को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कंडिका–ए में 50 ग्राम अफिम, कंडिका–बी में 50 ग्राम डोडा एवं कंडिका–सी में 50 ग्राम ब्राउन सुगर अंकित है जिससे यह पता चलता है कि जांच हेतु भेजने के लिए तीनों जप्त बस्तु प्रदर्श का मात्र एक हीं सैंपल तैयार किया गया था जिससे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में भेजा गया। जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण के कंडिका 13 में यह भी स्पष्ट किया है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन में तीनों बस्तु प्रदर्श का सैंपल का वजन 100–100 ग्राम अंकित किया हुआ है। प्रदर्शः–8 (विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जांच हेतु भेजे गये नमुना, मार्क–ए में 100 ग्राम गहरे भुरे रंग का चिपचिपा पदार्थ था जिसे जांचोपरान्त अफिम होने का मात्रा मिला पाया गया। मार्क–बी में 100 ग्राम हल्का भुरे रंग का भुसा जैसा पदार्थ था जिसे जांचोपरान्त अफिम/डोडा होने का मात्रा मिला पाया गया। जबकि मार्क–सी में 100 ग्राम गहरे भुरे रंग का पाउडर जैसा पदार्थ था जिसे जांचोपरान्त अफिम होने का मात्रा पाया गया परन्तु ब्राउन सुगर अथवा हिरोईन का कोई भी मात्रा नहीं पाया गया। यहॉ यह अत्यंत हीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु तीनों बस्तु प्रदर्श का 50–50 ग्राम नमुना भेजा गया तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच के समय 100–100 ग्राम नमुना कैसे पाया गया। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी सं0 7 अनुसंधानकर्ता ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 31 में यह भी साक्ष्य दिया है कि जप्त समान का वजन जप्ती सूची (प्रदर्श–4) के अनुसार 05 किलोग्राम अफिम, 400 ग्राम डोडा एवं 1 किलोग्राम ब्राउन सुगर है और मालखाना में जमा करते समय भी बस्तु प्रदर्शो का वजन 05 किलोग्राम अफिम, 400 ग्राम डोडा एवं 1 किलोग्राम ब्राउन सुगर है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि मालखाना में रखे गये जप्त प्रदर्श में से सैंपलिंग हेतु बस्तु निकाला हीं नहीं गया है। जो पुरी अभियोजन की कथानक को हीं संदिग्ध बना दे रहा है।

21. उपरोक्त साक्ष्यों के विश्लेषन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन, अभियुक्तगण पप्पु कुमार एवं कृष्ण कुमार के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

22. चूंकि अभियोजन अभियुक्त पप्पु कुमार एवं कृष्ण कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण पप्पु कुमार एवं कृष्ण कुमार को धारा–18, 20 एवं 22 एन0 डी0 पी0 एस0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त कृष्ण कुमार काराधीन हैं। कार्यालय अभियुक्त का मुक्ती पत्र अविलंब भेजें। जमानत प्राप्त अभियुक्त पप्पु कुमार के जमानदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–

(शशी कांत ओझा)

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया।

दिनांक :– 05.06.2026

लेखापित

ह0/–

(शशी कांत ओझा)

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया।

दिनांक :– 05.06.2026